रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बीरवार, 24 फरवरी, 2000/5 फाल्गुन, 1921

हिमाचल प्रदेश सरकार

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, जिला किन्नौर स्थित रिकांग पीओ

अधिसूचना

किन्नौर, 31 जनवरी, 2000

संख्या एफ0 डी0 एम0 केनर(ई) 12-1/82-4-286-333.—इस कार्यालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एफ0 डी0 एस0-केनर (ई) 12-1/82-4-10059-10105, दिनांक 15-12-1999 की निरन्तरता में तथा हिमाचल प्रदेश जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी निरोधक आदेश, 1977 की धारा 3(1) (ई) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, गोपाल कायथ, जिला दण्डाधिकारी, जिला किन्नौर स्थित रिकांग पीओ आदेश जारी करता हूं कि उपरोक्त अधिसूचना द्वारा निर्धारित आवश्यक वस्तुओं के मूल्य आगामी दो मास तक पूरे किन्नौर जिला में लागू रहेंगे ।

गोपाल कायथ
जिला दण्डाधिकारी किन्नौर,
जिला किन्नौर स्थित रिकांग पीओ,
हिमाचल प्रदेश ।

कार्यालय जिला पंचायत अधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

कार्यालय आदेश

कुल्लू, 17 फरवरी, 2000

संख्या 410-13.—अंकेक्षण पत्र अवधि 4/97 से 3/98 तथा 4/98 से 3/99 में निम्न आपत्तियां पाई गई :—

1. ग्राम पंचायत द्वारा मु0 41,000/- रुपये कांगड़ा सहकारी बैंक, आनी में दिनांक 13-9-95 को एक वर्ष के लिए जमा किए गए थे जो दिनांक 13-9-96 को मु0 45,924/- रुपये प्राप्त होने थे, पंचायत द्वारा यह राशि पुन: एक वर्ष के लिए जमा करवाई जो 13-9-97 को प्राप्त होनी थी। यह राशि 24-9-97 को निकाली गई तथा 2 फिक्सड डिपाजिट संख्या 225577, मु0 34,924/- रुपये तथा 225677 मु0 4,924/- कुल 39,848/- रुपये जमा किए गए हैं। उपरोक्त वर्णित स्थिति अनुसार पंचायत को दिनांक 24-9-97 को मु0 51,000/- रुपये के लगभग राशि प्राप्त होनी थी, जिसमें से 39,848/- रुपये ही प्राप्त हुए हैं। मु0 11,000/- रुपये के सम्बन्ध में प्रधान द्वारा बताया गया कि यह राशि सेब के ठेकेदार को दी गई जबकि इसका कोई भी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया। और न ही राशि का इन्द्राज रोकड़ पर किया गया है इस विषय में अंकेक्षण अनुसार वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने हेतु लिखा गया था परन्तु आज तक कोई भी उत्तर नहीं दिया गया।
2. 24-9-97 को जमा की गई राशि मु0 34,924/- व 4,924/- जो कांगड़ा सहकारी बैंक, आनी में जमा की गई है दिनांक 24-9-98 को मु0 3,432/- रुपये ब्याज सहित प्राप्त होनी थी परन्तु इसे अंकेक्षण दिनांक 17-11-99 तक बैंक से प्राप्त नहीं किया गया है, जिसके कारण पंचायत को ब्याज की हानि हो रही है।
3. श्री मनशा राम को मु0 16,340/- रुपये दिनांक 3-3-97 को तथा भागे राम, पंच को वर्ष 1997-98 में मु0 22,000/- रुपये पेशगी दी गई है, जिसकी वसूली की ओर कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही है।
4. अंकेक्षण पत्र 4/97 से 3/98 के पैरा 5 (ख) (2), (3), (5), (6), (8) अनुसार क्रमश: 180/- रुपये, 274.75, 350/-, 138/- तथा 320.25 पैसे वसूली योग्य है तथा पैरा 5 (ख) (7) अनुसार बाऊचर संख्या 51, दिनांक 9-2-98 मु0 3,500/- रुपये का व्यय बाद क्रय करने पर बिना बाऊचर दर्ज रोकड़ किया गया है, की वसूली आज तक नहीं हुई है।

उपरोक्त वर्णित आपत्तियों के सम्बन्ध में राशि जमा करने और स्थिति स्पष्ट करने हेतु इस कार्यालय के पंजीकृत पत्र संख्या 2776-79, दिनांक 22-12-99 द्वारा लिखा गया था, परन्तु आज तक न राशि जमा करने बारे न तो कोई सूचना प्रेषित की गई तथा न ही स्थिति स्पष्ट की गई।

अत: मैं, टशी सन्डूप, जिला पंचायत अधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 145 के अन्तर्गत वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्रीमती शकुन्तला देवी, प्रधान, ग्राम पंचायत खणी, विकास खण्ड आनी, जिला कुल्लू को कारण बताओ नोटिस देता हूं कि क्यों न उन्हें उक्त कृत्यों के लिए प्रधान पद से निलम्बित किया जाए, उनका उत्तर इस कारण बताओ नोटिस की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर-भीतर खण्ड विकास अधिकारी, आनी, जिला कुल्लू के माध्यम से इस कार्यालय को पहुंच जाना चाहिए अन्यथा उनके विरुद्ध आगामी आवश्यक एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

टशी सन्डूप,
जिला पंचायत अधिकारी,
कुल्लू, जिला कुल्लू।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित